तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.10.19	**एकल पीठ** **श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य** उपस्थित– श्री अजीत लोढा, अभिभाषक प्रार्थी श्री जे.पी.माथुर, अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय** यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी, फागी द्वारा प्रकरण संख्या 206 / 98 में पारित निर्णय दिनांक 19–5–05 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी सं. 1 से 6 के पिता एवं अप्रार्थी सं. 7 के पति सूज्या ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा का विवादग्रस्त आराजीयात बाबत प्रस्तुत किया। वाद के दौरान वादी सूज्या की मृत्यु होने पर अप्रार्थीगण द्वारा सूज्या की मृत्यु दिनांक 15–3–04 को हुई बताकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया। उनका कथन है कि सूज्या के वारिसान को विचाराधीन वाद की जानकारी होते हुए भी उन्होंने यथा समय नाम कायमी की कार्यवाही नहीं की। इस कारण उनका वाद सूज्या की मृत्यु के 90 दिन बाद ही अबेट हो गया था। उनके द्वारा अबेटमेन्ट को सेटअसाइट कराने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा कायम मुकामान को रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये हैं जो पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश को विधि सम्मत बताते हुए निगरानी खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सिर्फ तकनीकी आधार पर दावा खारिज करना न्यायहित में उचित नहीं है। विचारण न्यायालय ने व्यापक न्यायहित में उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए अबेटमेन्ट नहीं कर कायम मुकाम को रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया है, जो समुचित है। साथ ही लिमिटेशन पर निर्णय करने का अधिकार विचारण न्यायालय को है। हम विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से पूर्णतया सहमत हैं एवं उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। परिणामतः यह निगरानी खारिज की जाती है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	